

अपराध के पीड़ितों के लिए न्याय एवं मानव अधिकारों की आवश्यकता

Pushplata Patel^{1*} N. K. Thapak²

¹ Research Scholar, Swami Vivekanand University, Sagar, Madhya Pradesh

² Professor, Department of Law, Swami Vivekanand University, Sagar, Madhya Pradesh

सार – समिति की रिपोर्ट शोधकर्ता के शोध कार्य को औ बढ़ाने में सहायक होगी। आपराधिक न्यायप्रणाली के सुधार पर न्यायमूर्ति वी., समलीमथ समिति, खंड 1 मध्यप्रदेश (मार्च 2003)- इस रिपोर्ट को मलिमथ समिति रिपोर्ट भी कहा जाता है, इस रिपोर्ट में समिति के विभिन्न सदस्यों ने आपराधिक व्यवस्था प्रणाली के सुधारों पर सुझाव देने की कोशिश की और आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया समिति आपराधिक न्यायप्रणाली में पीड़ित की भूमिका पर भी ध्यान देती है और पीड़ित की स्थिति में सुधार करने के लिये प्रभावी उपाय देती है। शोधकर्ता इस रिपोर्ट के साथ सहमत हैं क्योंकि पीड़ित के साथ-साथ अपराध को भी गम्भीरता से लिया गया, साथ ही समिति द्वारा प्रणाली की खामियों पर विश्लेषण भी बड़े तरीके से किया गया है।

-----X-----

परिचय

संवैधानिक कानून कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी की सुरक्षा की गारंटी देता है। अपने नागरिकों को होने वाली आपराधिक परेशानियों के लिए कानूनी दायित्व को स्वीकार करने वाले राज्य का सिद्धांत मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, राज्यों के दायित्व को स्वीकार करता है। यह सार्वजनिक हित में भी है क्योंकि यह आपराधिक न्यायप्रणाली को मजबूत करता है और राज्य के नीति के सिद्धांतों के अनुसार जनकल्याण को बढ़ावा देता है।

मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली कानून और व्यवस्था बनाए रखने में और समाज को संतुष्ट करने में विफल रही है। इसकी आंशिक असफलता का एक मुख्य कारण अभियुक्तों के बचाव के अधिकार पर अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप है, जो कि मध्य प्रदेश के संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत उसका संवैधानिक अधिकार है। मध्य प्रदेश के दण्डात्मक कानूनों के तहत, अपराध के लिए मुकदमे की प्रक्रिया में, अभियुक्त पर हमेशा ध्यान दिया जाता है कि वह सभी संबंधितों से आग्रह के साथ आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने का पूरा अवसर दे। अदालत की मौजूदा प्रक्रिया में पीड़ित और गवाहों के अधिकार और गवाहों की ओर शायद ही कोई ध्यान दिया जाता है, जिनके

साक्ष्य पर मुकदमे की प्रभावशीलता और अदालत का फैसला निर्भर करता है।

मल्लीमथ समिति की सिफारिशें

आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर न्यायमूर्ति वी., स-मलीमथ समिति, खंड 1 मध्यप्रदेश (मार्च 2003)- इस रिपोर्ट को मलिमथ समिति रिपोर्ट भी कहा जाता है, इस रिपोर्ट में समिति के विभिन्न सदस्यों ने आपराधिक व्यवस्था प्रणाली के सुधारों पर सुझाव देने की कोशिश की और आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बना या समिति आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित की भूमिका पर भी ध्यान देती है और पीड़ित की स्थिति में सुधार करने के लिए, प्रभावी उपाय देती है। शोधकर्ता इस रिपोर्ट के साथ सहमत हैं क्योंकि पीड़ित के साथ-साथ अपराध को भी गम्भीरता से लिया गया, साथ ही समिति द्वारा प्रणाली की खामियों पर विश्लेषण भी बड़े तरीके से किया गया है।

जांच प्रक्रिया, न्यायपालिका की भूमिका, अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच का अंतर और आपराधिक न्याय प्रणाली आदि का जिज्ञासु मॉडल बेहतर आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा के लिए उपयोगी है। वर्तमान आपराधिक

न्याय प्रणाली के तहत पीड़ित की स्थिति और समसामायिक स्थिति पर ध्यान दिया गया है।

मोहम्मद फरजीहा गजविनी, “अपराध से पीड़ितों को पुलिस संरक्षण”- दीप और दीप प्रकाशन निजी समिति, 2011। पीड़ित की अवधारणा और परिभाषा, जो अपराध, उत्पत्ति और पीड़ित के इतिहास, पीड़ितों का वर्गीकरण इस पुस्तक से संबंधित है। लेखक का कहना है कि पीड़ित की उत्पत्ति कैसे हुई और यह विभिन्न प्रकार के अपराधों से कैसे पीड़ित हुआ। इसीलिए, यह पुस्तक पीड़ित के अर्थ को समझने के लिए, उपयोगी है और साथ ही पीड़ित की अवस्था और पीड़ित की स्थिति के विकास के बारे में इतिहास का पता लगाने के लिए उपयोगी है।

जी.-एस- बाजपेयी, आपराधिक न्याय प्रक्रिया में पीड़ित, पुलिस और न्यायपालिका पर परिप्रेक्ष्य, उत्पल पब्लिशिंग हाउस (2011) नई दिल्ली। लेखक उत्पीड़न की प्रक्रिया, हिंसक अपराधों के पश्चात प्रभाव, अपराध की समस्याओं की प्रकृति पर जोर देते हैं।

अनुसंधान पद्धति

वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित की भूमिका और सुरक्षा पर सामाजिक स्थितियों में महत्व और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को बड़ी रुचि के साथ चुना जाता है। शोधकर्ता द्वारा व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए चयनित विषय और जो सामान्य रूप से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रासंगिक है और विशेष रूप से कानूनी है। अध्ययन की प्रकृति सामाजिक और कानूनी है, जो कि अनुभवजन्य तरीके से करना संभव नहीं है। हालांकि, अपराध के पीड़ितों के संरक्षण के संदर्भ में कानूनों, नीतियों और भारतीय न्यायपालिका की भूमिका सहित भारतीय विधायी ढांचे का गंभीर रूप से विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किए गए सिद्धांत और अनुसंधान पद्धति है।

अपराध के पीड़ितों के लिए न्याय एवं मानव अधिकारों की आवश्यकता

राज्य का कानूनी कर्तव्य है कि वे प्रभावी घरेलू उपाय प्रदान करने और जांच करने, मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए, मानवाधिकारों और उनके विशिष्ट कर्तव्यों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करें। जैसा कि कोई व्यापक कानूनी प्रावधान नहीं है, यह सही है लेकिन कई स्रोतों से सूचित किया जा सकता है।

भारत का संविधान विष्व का सर्वोच्चतम कानून है, जो हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। अपराध के शिकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान हैं। भारतीय संविधान में कई प्रावधान हैं, जो पीड़ित क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण में अनुचित 11 अभावों के खिलाफ गारंटी, आपराधिक हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य को बाध्य करता है। संवैधानिक कानून कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी की सुरक्षा की गारंटी देता है। अपने नागरिकों को होने वाली आपराधिक परेशानियों के लिए कानूनी दायित्व को स्वीकार करने वाले राज्य का सिद्धांत मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राज्यों के दायित्व को स्वीकार करता है। यह सार्वजनिक हित में भी है क्योंकि यह आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करता है और राज्य के नीति के सिद्धांतों के अनुसार जनकल्याण को बढ़ावा देता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित का महत्व

कोई भी अपराध का शिकार होने या अपराध का गवाह बनने की उम्मीद नहीं करता है लेकिन ऐसा होता है, हर साल कई नागरिक अपराधों का शिकार होते हैं। एक अपराधिक मामले के बारे में पीड़ितों या गवाहों का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीड़ितों और गवाहों की मदद के बिना किसी भी अपराध को हल नहीं किया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों की भागीदारी दूसरों को पीड़ित होने से रोक सकती है। आपराधिक न्याय प्रणाली अपराध पीड़ितों पर निर्भर करती है कि वे आगे आएँ, अपने अपराधों की रिपोर्ट करें और अपराधियों को पकड़ने के लिए सहयोग करें। पीड़ितों के सहयोग और गवाह के बिना आपराधिक न्याय प्रणाली कार्य करना बंद कर देगी, फिर भी कुछ अपवादों के साथ इन व्यक्तियों को या तो आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा अनदेखा किया जाता है या अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली कानून और व्यवस्था बनाए रखने में और समाज को संतुष्ट करने में विफल रही है। इसकी आंशिक असफलता का एक मुख्य कारण अभियुक्तों के बचाव के अधिकार पर अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप है, जो कि मध्य प्रदेश के संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत उसका संवैधानिक अधिकार है। मध्य प्रदेश के दण्डात्मक कानूनों के तहत, अपराध के लिए मुकदमे की प्रक्रिया में, अभियुक्त पर हमेशा ध्यान दिया जाता है कि वह सभी संबंधितों से आग्रह के साथ आरोप के खिलाफ खुद का

बचाव करने का पूरा अवसर दे। अदालत की मौजूदा प्रक्रिया में पीड़ित और गवाहों के अधिकार और गवाहों की ओर शायद ही कोई ध्यान दिया जाता है, जिनके साक्ष्य पर मुकदमे की प्रभावशीलता और अदालत का फैसला निर्भर करता है।

पीड़ित के अधिकार के प्रति उदासीनता और परीक्षण के दौरान उसे बहुत कम या कोई भागीदारी नहीं दी गई है, जो मजबूरी के तहत शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले गवाहों की लगातार घटना के साथ युग्मित होता है, उदा. के लिये धमकियाँ, ज़बरदस्ती या खरीद-फरोख्त न्याय के मार्ग को अशुद्ध कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोषी बरी हो जाते हैं। इस प्रकार पीड़ितों को उसके खिलाफ किए गए अपराध के तहत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अपराधी के अधिकार और पीड़ितों के बीच असंतुलन को अपराधी की ओर बहुत अधिक स्थानांतरित कर दिया जाता है जबकि इसे दूसरे तरीके से होना चाहिए था। यहां अव्यवस्था का शिकार हारने वाला होता है।

सर्वोच्च न्यायालय एवं पीड़ित

5 फरवरी, 1989 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ, जो कि तत्कालीन चीफ जस्टिस आरएस पाठक की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक पीठ थी, जिसमें तीन कारणों से एक क्रिप्टोकॉरेंसी थी, जिसमें आपदा से संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाहियां शामिल थीं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए आंकड़ों के द्रव्यमान पर कोई चर्चा किए बिना और पक्षों द्वारा दायर व्यापक दलीलें सुने बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अचानक अवलोकन के साथ मामले को बंद कर दिया और कहा कि “हम इस राय के हैं कि मामला पूर्व के लिए उपयुक्त है समग्र निपटान सभी पक्षों के दावों, अधिकारों और देनदारियों को पूर्ण करने से संबंधित हो सकता है और आपदा से उत्पन्न होने वाली समस्या के लिये “सुप्रीम कोर्ट ने 470 मिलियन की निपटान राशि को” न्यायसंगत और उचित पाया।

आश्रित होने का प्रमाण-पत्र

प्रार्थी की तहसील के तहसीलदार या शासन द्वारा समय-समय पर नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आश्रित प्रमाण-पत्र प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र जमा करने के पन्द्रह दिवस के अंदर जारी करेगा।

समय सीमा -

पीड़ित अथवा उसके आश्रित द्वारा संहिता की धारा 357 क की उपधारा (4) के अधीन किया गया कोई भी दावा, अपराध घटित होने के एक सौ अस्सी दिवस की अवधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाता है, तो लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उक्त दावे को फाइल करने में हुई देरी को माफ कर सकेगा।

अपील...

- (1) कोई पीड़ित अथवा उसका आश्रित जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसके दावे के खारिज किये जाने से व्यथित हो, नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल कर सकता है।
- (2) प्रथम अपील प्राधिकारी जैसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विनिश्चय के विरुद्ध आदेश के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि के भीतर द्वितीय अपील, सरकार के गृह विभाग को की जाएगी और द्वितीय अपील।

प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु यदि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/सरकार का समाधान हो गया है। तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से अपील फाइल करने में हुए विलंब के लिए माफी दे सकेगी। (3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया तथा आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया कोई विनिश्चय सामान्य तौर पर अंतिम माना जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/सरकार यद्यपि बाद में किसी मामले को पुनः खोल सकेगी जहां कि पीड़ित की चिकित्सीय अवस्था में ऐसा सारवान परिवर्तन हो गया है, यदि प्रतिकर मूल निर्धारण के ज्यों का त्यों रखा जाना अनुज्ञात किये जाने से अन्याय हो सकता है अथवा जहां कि उपहति के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो गई है।

परिचय

शिकार की अवधारणा प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यता से आई है। इसका मूल अर्थ त्याग में निहित था- किसी देवता को संतुष्ट करने के लिए किसी व्यक्ति या जानवर की जान लेना। सदियों से पीड़ित शब्द के अतिरिक्त अर्थ होते हैं।

इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल करें जो किसी के कारण चोट, हानि या कठिनाई का अनुभव करता है।

प्राचीन समाज ने बदला लेने के तरीके से गलत काम करने वाले को सजा देने के पीड़ित के प्राकृतिक अधिकार को मान्यता दी। मनुस्मृति के हिंदू शास्त्रों में कानून के उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर सजा निर्धारित है। समय बीतने के साथ यह महसूस किया गया कि इसके लिए पीड़ित को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इसके बजाय, राज्य या समाज का यह सुनिश्चित करना सामूहिक कर्तव्य होना चाहिए कि अपराधी या गलत काम करने वाले को उचित सजा मिले। पुराने दिनों के दौरान अपराध को नियंत्रित करने के लिए निवारक दंड को महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके बाद औद्योगिक क्रांति के उदय के साथ विशेष रूप से फ्रांसीसी क्रांति के बाद जीवन के हर क्षेत्र में और ग्रह के हर कोने में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। यह महसूस किया गया कि अपराध को नियंत्रित करने और अपराधियों को अपराध करने से रोकने के लिए निवारक सजा अप्रभावी थी। अपराधियों के दृष्टिकोण से अपराध के अध्ययन का एक परिणाम यह महसूस किया गया कि अपराधियों का निर्माण समाज द्वारा ही किया जाता है। इसलिये अपराधियों के उपचार और बहाली के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच से चिंता दिखाई गई ताकि वे समाज की मुख्य धारा में वापस आ सकें। इस प्रकार समय बीतने के साथ और पश्चिमी सभ्यता के साथ बढ़ती बातचीत के साथ ही न्यायविद, अपराधी और सरकार को अधिकारों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके तहत परीक्षण और दोषियों में सुधार और इसलिए पीड़ित हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के विस्मृत व्यक्ति बन गए।

निष्कर्ष

विद्वानों द्वारा गहन शोध का विषय बन गई है। कई शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि अपराध पीड़ितों को पूरी दुनिया में उचित हल नहीं मिलता है। पीड़ितों की स्थिति और स्थिति में उत्थान के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन संयुक्त राष्ट्र को संज्ञान लेने और पीड़ित के हित में कुछ जरूरतमंदों को मजबूर करने के लिए मजबूर करता है और अंत में संयुक्त राष्ट्र ने न्यायिक बुनियादी अधिकारों की घोषणा के रूप में प्रस्ताव पारित किया। अपराध और दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए और न्याय और उचित उपचार, पुनर्स्थापन, क्षतिपूर्ति और सहायता तक पहुंच के रूप में अधिकारों को प्रदान किया और

इसलिए इस घोषणा को अपराध पीड़ितों का 'मैग्ना कार्टा' माना गया।

अपराध पीड़ित को इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तरों पर सम्मान और पावती का अधिकार प्राप्त होता है, मामले के आगे बढ़ने के बारे में लगातार जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, अपराधी के बारे में फैसले के लिए जिम्मेदार लोगों को जानकारी देने का अधिकार, कानून तक पहुंच, वकील, व्यक्तिगत ईमानदारी और शारीरिक सुरक्षा की सुरक्षा और आर्थिक मुआवजे का अधिकार। इसके अलावा यह बताता है कि अदालत के एक अधिकारी को पीड़ितों की जरूरतों को पूरा करने के तरीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा। यह पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वागत योग्य कदम है और अंततः यह दुनिया के विभिन्न देशों को अपराध के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित पहल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

यूरोप की परिषद ने भी मानवाधिकारों की रक्षा को और मजबूत करने के लिए उपाय किए हैं। परिषद के कार्य की नींव मानव अधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन है, इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी जो मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। 1985 में मंत्रियों की समिति ने सदस्य राज्यों को "आपराधिक कानून और प्रक्रिया के ढांचे में पीड़ित की स्थिति पर" शीर्षक से अधिक विशिष्ट सिफारिश जारी की। इस सिफारिश में सदस्य राज्यों के अभियोजन, सजा और दंड संगठनों के दिशानिर्देश शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों में अपराध पीड़ितों को सहायता और सहायता प्रदान करने की सरकार की जिम्मेदारी शामिल है, जिसमें जानकारी, मुआवजा और व्यक्तिगत अखंडता की सुरक्षा शामिल है।

संदर्भ

1. मुंद्रती, सम्माया, जपवद कानून पर मुआवजा-पीड़ितों का शासन और सत्ता का अधिकार', दीप और दीप प्रकाशन प्रा। लिमिटेड 2002।
2. मिश्रा, 'ईस्ट इंडिया कोसिन बंगाल का न्यायिक प्रशासन', मोतीलाल बनारसीदास 196 एल
3. खान, सरफराज अहमद, ज़ौद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा पीड़ितों के प्रतिकार का अधिकार', ए.पी.एच. प्रकाशन निगम, 2007।

4. केन, पी.वी., 'धर्मशास्त्र का इतिहास', खंड। तृतीय, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना (1953)।
5. गौर, केडी। (सं।) 'आपराधिक कानून और अपराधशास्त्र', दीप और दीप प्रकाशन प्रा। लिमिटेड 2002।
6. गांधी, बी.एम. ट.क्. दुलश्रेष्ठ, भारतीय कानूनी संवैधानिक इतिहास', ईस्टर बुक कंपनी, लंक, 8 वें एड, 2006 में Landmark।
7. गुप्ता, वी.के., कौटिल्य न्यायशास्त्र, बी.डी. द्वारा प्रकाशित गुप्ता, 1987।
8. वेणुगोपाल राव, भारत में अपराध के शिकार, संबद्ध प्रकाशक, नई दिल्ली, 1989।
9. ऋषि डी.डी., पीड़ित और दंड के अधिकारी, डेटासन प्रकाशन,
10. परमजीत एस जायसवाल और निष्ठा जायसवाल, मानवाधिकार और कानून, एपीएच

Corresponding Author

Pushplata Patel*

Research Scholar, Swami Vivekanand University,
Sagar, Madhya Pradesh